न्यायालयः–भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा (म0प्र0)

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पाढुर्णा

..........अभियोजन

विरूद्ध

कुंडलिक पिता गुलाब सोनारे, आयु 46 वर्ष,
निवासी–ग्राम पीपलपानी,
थाना पांढुर्णा, जिला छिंदवाडा **..........अभियुक्त**

//अपराध विवरण//
(आज दिनांक 04.11.2022 को विरचित)

मैं, **भूपेन्द्र आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा,** आप अभियुक्त **कुंडलिक पिता गुलाब सोनारे, आयु 46 वर्ष, निवासी–ग्राम पीपलपानी थाना पाढुर्णा जिला छिंदवाडा** पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं किः–

आपने अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.10.2022 को समय 19:50 बजे स्थान–ग्राम पीपलपानी हाइवे रोड पुलिया के पास से **एक प्लास्टिक की कुप्पी में भरी 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब** को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से आधिपत्य में रखा।

ऐसा कर आपने **मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34(1)** के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान के अधीन है और में निर्देशित करता हूॅ कि आपके विरूद्ध उपरोक्त आरोपित अपराध पर विचारण किया जावे।

क्या आप दोषी होने का अभिवचन करते हैं या विचारण चाहते हैं।

सही/–
(भूपेन्द्र आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाढुर्णा, जिला छिन्दवाडा

–ःअभियुक्त का अभिवाकः–

अभियुक्त को अपराध विवरण की विशिष्टियॉ पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर उसका अभिवाक् उसी के शब्दों में है, कि –

सही/–
(भूपेन्द्र आर्य)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पाढुर्णा, जिला छिन्दवाडा)

//<u>संक्षिप्त निर्णय</u>//
<u>(आज दिनांक 04.11.2022 को घोषित)</u>

01. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 14.10.2022 को समय 19:50 बजे स्थान– ग्राम पीपलपानी हाइवे रोड पुलिया के पास से **एक प्लास्टिक की कुप्पी में भरी 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब** को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34(1) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. जहां तक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3, 4 व 6 के लाभ का प्रश्न है? तो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा और अभियुक्त दंड पाने के दायित्वधीन है।

03. अपराध की प्रकृति, अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति तथा अभियुक्त की आर्थिक स्थिति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायहित को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः अभियुक्त **कुंडलिक पिता गुलाब सोनारे, आयु 46 वर्ष, निवासी–ग्राम पीपलपानी थाना पाढुर्णा जिला छिंदवाडा** को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34(1) के अधीन दण्डनीय अपराध में न्यायालय के उठने तक के कारावास एवं **₹ 1000/– (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

04. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

05. प्रकरण में जप्तशुदा **एक प्लास्टिक की कुप्पी में भरी 08 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब** मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे एवं अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

06. अभियुक्त के द्वारा अन्वेषण, जांच व विचारण के दौरान कोई भी अवधि निरोध में व्यतीत नहीं की गयी है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित व मुद्रांकित कर घोषित, किया गया।	मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
सही/– **(भूपेन्द्र आर्य)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा	**सही/–** **(भूपेन्द्र आर्य)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पाढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा